

IN THE COURT OF LAND REFORM DEPUTY COLLECTOR SIMDEGA

SCHEDULE

Permission has been granted to श्रीमति लुसिया केरकेडा

S/O, W/O, D/O स्व० वाल्टर बिलुंग

Village: रिगड़ी पहारटोली

P.S सिमडेगा District Simdega (वर्तमान पता- ग्राम- ठाकुरटोली सिमडेगा, थाना- सिमडेगा, जिला-सिमडेगा) to transfer the following land to

Sri/Smt. अनिमा बिलुंग,

S/O, W/O, D/O विजय खडिया

Village: रिगड़ी पहारटोली

P.S: सिमडेगा

District Simdega by the L.R.D.C. Simdega in his order dated.....२२.०२.२०२२

in Rev, C.N.T. case No 475 of 2021-22

U/S 46 C.N.T. Act,

| Village        | Thana   | Thana No | Khata No. | Plot No. | Area (in acies)    | Value for Sale |
|----------------|---------|----------|-----------|----------|--------------------|----------------|
| गोतरा थानाटोली | सिमडेगा | 80       | 236       | 5086     | 0.10 ए० मे 0.03 ए० | 2,10,000.00    |

(दो लाख दस हजार रु० मात्र)

भूमि की चौहदी:

उत्तर - इसी प्लॉट का अंश

दक्षिण - इसी प्लॉट में छोड़ा गया 10' का कच्चा रास्ता

पूरब - इसी प्लॉट का अंश

पश्चिम - जगदीश बड़ाईक का मकान

Sd.....

L.R.D.C. Simdega

Memo No. 425 (ii) /Rev. Dated (Simdega the 22.2.2022)

Copy forwarded to the Sub Registrar, Simdega and Sri श्रीमति लुसिया केरकेडा

S/O, W/O, D/O स्व० वाल्टर बिलुंग

Village: रिगड़ी पहारटोली

P.S: सिमडेगा Dist: सिमडेगा, (वर्तमान पता- ग्राम- ठाकुरटोली सिमडेगा, थाना- सिमडेगा, जिला-सिमडेगा)

For Information and needful




उप समाहर्ता  
L.R.D.C. Simdega  
भूमि सुधार सिमडेगा  
२२.२.२२

85  
02/03/22

2

न्यायालय, भूमि सुधार, उप समाहर्ता, सिमडेगा  
अनुमति वाद सं० 475/2021-22



श्रीमति लुसिया केरकेट्टा ..... आवेदिका  
बनाम  
अनिमा बिलुंग ..... क्रेतिका

| आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर  | आदेश पर की गई कारवाई के बारे टिप्पणी सहित तारीख |         |          |                        |          |      |                |         |    |     |      |                        |  |
|-------------------------------|---|---|---------|----------|------------------------|----------|------|----------------|---------|----|-----|------|------------------------|--|
| 1                             | 2   | 3   |         |          |                        |          |      |                |         |    |     |      |                        |  |
|                               | <p>आवेदिका श्रीमति लुसिया केरकेट्टा, पति- स्व० वाल्टर बिलुंग, ग्राम- रिगड़ी पहारटोली, थाना- सिमडेगा, जिला-सिमडेगा (वर्तमान पता- ग्राम- ठाकुरटोली सिमडेगा, थाना- सिमडेगा, जिला-सिमडेगा) ने निम्नांकित भूमि को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत बिक्री हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र दायर किये है।</p> <p><b>भूमि विवरण:-</b></p> <table border="1"><thead><tr><th>मौजा</th><th>थाना</th><th>थाना नं०</th><th>खाता न०</th><th>प्लॉट न०</th><th>रकबा</th></tr></thead><tbody><tr><td>गोतरा थानाटोली</td><td>सिमडेगा</td><td>80</td><td>236</td><td>5086</td><td>0.10 एकड़ मे 0.03 एकड़</td></tr></tbody></table> <p><b>कुल रकबा (तीन डिसमिल) मात्र।</b></p> <p>आवेदिका अपनी खतियानी जमीन को बिमारी के ईलाज हेतु प्रस्तावित क्रेतिका- अनिमा बिलुंग, पति- विजय खडिया, ग्राम- रिगड़ी पहारटोली, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा (जाति खडिया) को बिक्री कर रहे हैं। आम सूचना निर्गत की गई। आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख में संलग्न है। किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है।</p> <p>अंचल अधिकारी सिमडेगा के पत्रांक 143(ii)/रा० दिनांक 10.02.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन एवं आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हैं, जो अभिलेख में संलग्न हैं। किसी व्यक्ति के द्वारा आपत्ति दायर नहीं किया गया है, न ही अंचल अधिकारी के द्वारा किसी प्रकार का विवाद का आपत्ति के संबंध में प्रतिवेदन दिया गया है। प्रस्तावित भूमि आवेदिका की खतियानी भूमि है। प्रस्तावित भूमि के खतियानी रैयत शंकरा उराँव वल्द फागु उराँव है। वर्तमान जमाबंदीदार शंकरा उराँव वल्द फागु उराँव के नाम से दर्ज है। मालगुजारी आवेदक के द्वारा दिया जाता है। बिक्रेता एवं क्रेतिका दोनों अनुसूचित जाति खडिया जाति के सदस्य हैं, तथा एक ही थाना क्षेत्र के निवासी हैं। प्रस्तावित भूमि बिक्री के पश्चात आवेदिका के पास 2.25 एकड़ भूमि शेष बचता है।</p> | मौजा  | थाना    | थाना नं० | खाता न०                | प्लॉट न० | रकबा | गोतरा थानाटोली | सिमडेगा | 80 | 236 | 5086 | 0.10 एकड़ मे 0.03 एकड़ |  |
| मौजा                          | थाना  | थाना नं०  | खाता न० | प्लॉट न० | रकबा                   |          |      |                |         |    |     |      |                        |  |
| गोतरा थानाटोली                | सिमडेगा   | 80  | 236     | 5086     | 0.10 एकड़ मे 0.03 एकड़ |          |      |                |         |    |     |      |                        |  |

300  
02/03/22  
प्रधान लिपेक





भूमि स्वामित्व से संबंधित कागजात में खतियान एवं, लगान रसीद, जाति प्रमाण पत्र संख्या जे0एच0सी0एस0टी0/2021/268977 दिनांक 16.10.2020/स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं0 पत्र संख्या-जे0एच0आर0सी/2021/373576 दिनांक 13.10.2021 एवं आधार संख्या 924804699878 की छाया प्रति प्रस्तुत है जो अभिलेख में संलग्न है। क्रेतिका की ओर से जाति प्रमाण पत्र संख्या जे0एच0सी0एस0टी0/2020/06161 दिनांक 22.01.2020/स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र संख्या-जे0एच0आर0सी0/2019/126694/दिनांक 09.03.2019 एवं आधार संख्या 607465907636 की छाया प्रति तथा जमीन का चौहदी प्रस्तुत किया है, जो अभिलेख में संलग्न है।

आवेदक ने अपने बयान में कहा है कि मौजा- गोतरा थानाटोली, थाना न0-80, थाना सिमडेगा के अन्तर्गत खाता नं0-236 प्लॉट संख्या 5086 रकबा 0.10 एकड़ मे 0.03 एकड़ जमीन को बिमारी के ईलाज हेतु प्रस्तावित क्रेतिका- अनिमा बिलुंग, पति- विजय खड़िया, ग्राम- रिगड़ी पहारटोली, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा को मो0 2,10,000.00 (दो लाख दस हजार) रुपये मात्र में अपने राजी- खुशी से बिक्री कर रहे हैं। यह हमारी खतियानी भूमि है। उक्त जमीन बिक्री करने के बाद मेरे पास 2.25 एकड़ जमीन शेष बचती है। बिक्रेता एवं क्रेतिका दोनों अनुसूचित जाति खड़िया जाति के सदस्य हैं, तथा एक ही थाना क्षेत्र के निवासी है।

अंचल अधिकारी, सिमडेगा के जाँच प्रतिवेदन एवं आवेदक के बयान के आधार पर मौजा- गोतरा थानाटोली, थाना न0-80, थाना सिमडेगा के अन्तर्गत खाता नं0-236 प्लॉट संख्या 5086 रकबा 0.10 एकड़ जमीन आवेदिका श्रीमति लुसिया केरकेट्टा, पति- स्व0 वाल्टर बिलुंग, ग्राम- रिगड़ी पहारटोली, थाना- सिमडेगा, जिला-सिमडेगा (वर्तमान पता- ग्राम- ठाकुरटोली सिमडेगा, थाना- सिमडेगा, जिला-सिमडेगा) द्वारा क्रेतिका- अनिमा बिलुंग, पति- विजय खड़िया, ग्राम- रिगड़ी पहारटोली, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा को स्थानीय बाजार दर के अनुसार छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत भूमि बिक्री करने की स्वीकृति दी जाती है।

लेखापित एवं संशोधित ।

भूमि सुधार उप-समाहर्ता  
सिमडेगा ।



भूमि सुधार उप-समाहर्ता  
सिमडेगा ।

पुनश्च: तालिका तीन प्रतियों में तैयार करें। मूल प्रति आवेदक को तथा एक प्रति जिला निबंधन पदाधिकारी सिमडेगा को भेजें।

भूमि सुधार उप-समाहर्ता,  
सिमडेगा ।

30/02/22  
प्रधान लिपिक

30/02/22  
प्रधान लिपिक

30/02/22







(2)

2. क्रेता के सम्बन्ध में

श्रीमति अनिता किलुठा जीन विजय खड्गी  
ग्राम- सिग्डी (पटारली) बल्ला-रड्डा - सिग्डी

1) क- क्रेता का नाम/पिता का नाम  
घर का पूरा पता

: श्रीमता। पर २४ की पाना रोज़े निवा  
: नगी।

ख- जाति

: व्यावसायिक श्रमिक।

2) क्या क्रेता उसी ग्राम के निवासी हैं ?

: नगी।

3) जमीन खरीदने का कारण/आवश्यकता

: व्यावसायिक श्रमिक।

4) क्या उसके पिता या दादों के नाम से लैण्ड  
सिलिंग का वाद चला है

: न

P- 055-00  
F- 00-00  
C.F- 082-00  
132-00

5) उसके पास तथा उनके परिवार के सभी  
सदस्यों के पास कुल जमीन कितनी है

:

6) यदि कोई शैक्षणिक या अन्य संस्था है तो  
उसका ब्यौरा

: न

7) उक्त शैक्षणिक संस्था या अन्य संस्था का  
अतिरिक्त जमीन क्रय करने की आवश्यकता/  
उद्देश्य औचित्य

: न

8) उक्त शैक्षणिक या अन्य संस्था के कुल  
धारित जमीन की रकबा ब्यौरा

:

महाशय  
प.उ.नि. के अधिकारी  
के अनुसार CWT ACT  
की धारा 46 अ. उपबंध  
की अन्वये ही जमीन खरीद  
की जा सकती है।  
28/12/2024  
C.F.

9) जिला शिक्षा पदाधिकारी की अनुशंसा की  
शैक्षणिक संस्था के पास कुल कितनी जमीन  
है और अतिरिक्त कितनी जमीन उद्देश्य हेतु  
आवश्यकता है

:



10) अभ्युक्ति

महोदय  
श्रीमता अनिता किलुठा जीन विजय खड्गी और अ.ज.जा. के लक्ष्य  
हैं। श्रीमता अनिता किलुठा जीन विजय खड्गी की जमीन का क्षेत्रफल 0.10 हे. है 0-03 हे.  
विही के लिए अनुमति मांगी है। विही के पत्राचार विहीन  
को 2.18 हे. जमीन बेचनी है। अनिता अनिता किलुठा जीन  
की अनुमति की स्वीकृति दी जा सकती है।

28/12/2024  
अंचल अधिकारी  
सिमडेगा  
अतिरिक्त अधिकारी  
सिमडेगा  
प्रधान लिपिक